(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 90 / 2019

प्रार्थीगण :–

1. बदमाराम वल्द दुर्गाराम
   जाति कुम्हार निवासी बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. देवाराम वल्द फूआराम वगैरा (29)
30. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण – अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08/10/21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय बांटा पेश हुई। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074–2077 सरहद मौजा बांटाडेर पटवार मण्डल बांटा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 104 / 3 रकबा 51–03 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से का त [illegible] पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के [illegible] उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:44:05 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा बांटाडेर पटवार मण्डल बांटा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 104/3 रकबा 51–03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमी नर नियुक्त किया जाता है। कमी नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आव यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08/10/21 को प्रशासन गांवों की संग अभियान ग्राम पंचायत मुख्यालय बांटा में खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:44:05 IST
Reason: SelfAttested